## न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/149/2025 दायर दिनांकः–06.10.2025 रजि0 न0 2025/361

| अपीलार्थीः– | प्रत्यर्थीः– |
| --- | --- |
| श्री राजेन्द्र सिंह नरूका, नि० ग्राम–बरोठ, तहसील–कठूमर, जिला–अलवर (राज०)–321605 | लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान) |

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 28.10.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 28.05.2025 के संबंध में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने बाबत अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 13.10.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/2049 दिनांक 24.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 04.08.2025 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार **RTI Online Portal** पर जरिये **Application No.** 293875171437124 दिनांकः 12.08.2025 दर्ज रजिस्टर कर, आवेदन के परिपेक्ष्य में कार्यालय स्तर पर राजस्व अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर ऑनलाईन पत्र सं. 6048158943 दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर चाही गई वांछित सूचना संबंधी पत्रावली, राजस्व अनुभाग के पत्र सं. 4697 दिनांक 13.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उनके अनुभगीय पत्र सं. 3500 दिनांक 09.07.2025 के माध्यम से माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर को मूल ही भिजवाई जा चुकी है। प्रति संलग्न है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में **RTI Online Portal** पत्र सं. 6048158943 दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है जिसके अनुसार वांछित सूचना संबंध मूल पत्रावली माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर को भिजवा दिए जाने के कारण किसी प्रकार की सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 28.10.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर